-7/

श्री राहुल रंजन महिवाल, (भा0प्र0से0), जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद की अध्यक्षता में दिनांक–07.03.2019 को जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आहुत जिला स्तरीय चयन समिति बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद –अध्यक्ष
2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, औरंगाबाद –सचिव
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद – सदस्य
4. अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर – सदस्य
5. जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद– सदस्य
6. श्री गजेन्द्र पासवान, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्रमण्डल, औरंगाबाद – सदस्य (अनु0जाति/जनजाति के लिए)

- बैठक में सर्वप्रथम "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016" के आलोक में नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में समीक्षा की गयी।

अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर द्वारा बताया गया कि दिनांक–26.02.2019 को जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आहुत जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही में निम्नांकित संशोधन की आवश्यकता है, जो निम्न प्रकार हैः–

1. दाउदनगर प्रखण्ड के **तरार पंचायत** में दो रिक्ति है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी रंजू भारती, जो अनारक्षित श्रेणी की हैं के स्थान पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला अंकित हो गया है तथा संध्या कुमारी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला श्रेणी की हैं, के स्थान पर अनारक्षित महिला अंकित हो गया है।
2. दाउदनगर प्रखण्ड के **तरारी पंचायत** में दो रिक्ति है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी सीमा कुमारी जो अनारक्षित श्रेणी की हैं, के स्थान पर पिछड़ा वर्ग महिला अंकित हो गया है तथा कुमारी संजू जो पिछड़ा वर्ग महिला श्रेणी की हैं, के स्थान पर अनारक्षित अंकित हो गया है।
3. दाउदनगर प्रखण्ड के **मनार पंचायत** के चयनित अभ्यर्थी लाल बिहारी के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनके पिता का नाम अद्‌यानन्द सिंह के स्थान पर उदयानन्द सिंह अंकित हो गया है, जिसे सुधार की जाय।
4. गोह प्रखण्ड के **देवहरा पंचायत** के रिक्ति के विरूद्व विपिन कुमार, पिता–कृष्णा प्रसाद सौण्डिक, ग्राम+पो0–देवहरा का चयन किया गया है। इस कार्यालय से

भेजे गये सूची तथा इनके द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में आवेदक का नाम विपुल कुमार, पिता–कृष्णा प्रसाद सौण्डिक अंकित है।

5. गोह प्रखण्ड के **उपहारा पंचायत** में अनारक्षित रिक्ति पर चयनित अभ्यर्थी सीमा कौशर के ससुर मो0 शहाबुद्दीन, जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं, जिनका अनुज्ञप्ति संख्या–02/G/1985 है।

6. गोह प्रखण्ड के **झिकटीया पंचायत** में चयनित अभ्यर्थी राजेश कुमार मण्डल के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनके पिता का नाम नसीब लाल यादव है, जो सूची में नसीक लाल यादव हो गया है। श्री मंडल द्वारा अपने पिता के नाम सुधार का आवेदन दिया गया है।

7. गोह प्रखण्ड के **झिकटिया पंचायत** में चयनित अभ्यर्थी राजीव कुमार, पिता–राजकुमार साव के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनके ग्राम–घोंटा के स्थान पर घाटो अंकित हो गया है, जिसे सुधार किया जाए।

8. गोह प्रखण्ड के **डिहुरी पंचायत** में चयनित अभ्यर्थी कुसुम कुमारी के द्वारा आवेदन दिया गया है कि सूची में उनके पति का नाम गलत है, जिसे सुधार कर सुरजीत कुमार करने की कृपा की जाए।

9. ओबरा प्रखण्ड के **गैनी ग्राम पंचायत** में अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के रिक्ति के विरूद्ध अमृता कुमारी, पति–अमित कुमार, ग्राम–परिहारा, पो0–विशुनपुरा का चयन किया गया है। अमृता कुमारी, पति –अमित कुमार के आवेदन एवं मेधा सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि अमृता कुमारी "पिछड़ा वर्ग" के अन्तर्गत आती हैं।

अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि दिनांक-26.02.2019 को जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आहुत जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही में निम्नांकित संशोधन की आवश्यकता है, जो निम्न प्रकार हैः–

1. प्रखण्ड बारूण के पौथू पंचायत में श्रीमती प्रियंका कुमारी, पति–श्री प्रमोद सिंह, ग्राम–रतनौर, पो0–पौथू, थाना–जम्होर का चयन किया गया था। सोनी देवी, पति–मुकेश कुमार, ग्राम–सादा विगहा, पो0–पौथू, थाना–जम्होर द्वारा आवेदन दिया गया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रिक्ति पर पिछड़ा वर्ग का चयन किया गया है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बारूण से प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच कराई गई। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बारूण द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रिक्ति पर पिछड़ा वर्ग का चयन किया गया है। आवेदक का कथन सत्य है। अतः सोनी देवी, पति–मुकेश कुमार, ग्राम–सादा विगहा, पो0–पौथू, थाना–जम्होर का चयन करने पर विचार किया जा सकता है।

2. प्रखण्ड रफीगंज के पंचायत–सिहुली में शालू कुमारी, पति–धर्मेन्द्र कुमार, ग्राम–सिहुली खैरा, पो0–खैरा, थाना–रफीगंज का चयन अनुसूचित जाति महिला कोटि में किया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, रफीगंज के द्वारा व्यापार स्थल के सत्यापन में पाया गया कि शालु कुमारी, पति–धर्मेन्द्र कुमार, पिछड़ा वर्ग की महिला है। अतः उक्त पंचायत में शालु कुमारी, पति–धर्मेन्द्र कुमार, ग्राम–सिहुली खैरा, पो0–खैरा, थाना–रफीगंज का चयन

अरारक्षित महिला में एवं अनुसूचित जाति महिला की रिक्ति पर चयन करने पर विचार किया जा सकता है।

3. बारूण प्रखण्ड के गोठौली पंचायत में चयनित अभ्यर्थी श्री संजय कुमार की मृत्यु हो गयी है, जिस कारण उनके स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी का चयन किया जाना है।
4. देव प्रखण्ड अन्तर्गत पश्चिमी केताकी में चयनित अभ्यर्थी श्री अजीत कुमार, पिता–नागदेव यादव, ग्राम–मंझौलिया को सरकारी नौकरी लग जाने के कारण इनके स्थान पर अन्य अभ्यर्थी का चयन करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अनुरोध किया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद/दाउदनगर द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त पायी गयी टंकनभूल को संशोधित किया गया, जो निम्न प्रकार हैः–

क्र0	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	रिक्ति	आरक्षण कोटि	दिनांक–26.02.2019 को चयनित अभ्यर्थी का नाम/पता	संशोधित के पश्चात् चयनित अभ्यर्थी का नाम/पता
1	2	3	4	5	6	7
1	दाउदनगर	तरार	2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला	रंजू भारती, पति–सुशील कुमार, ग्राम–बुधन विगहा, पो0–तरार, थाना–दाउदनगर	संध्या कुमारी, पति–मुकेश कुमार, ग्राम+पो0–तरार
2				अना0 महिला	संध्या कुमारी, पति–मुकेश कुमार, ग्राम+पो0–तरार	रंजू भारती, पति–सुशील कुमार, ग्राम–बुधन विगहा, पो0–तरार, थाना–दाउदनगर
3		तरारी	2	पिछड़ा वर्ग महिला	सीमा कुमारी, पति–चन्द्रप्रकाश, ग्राम+पो0–तरारी	कुमारी संजू पति–चन्द्रप्रकाश, ग्राम+पो0–तरारी
4				अनारक्षित	कुमारी संजू, पति–चन्द्रप्रकाश, ग्राम+पो0–तरारी	सीमा कुमारी, पति-चन्द्रप्रकाश, ग्राम+पो0–तरारी
5		मनार	1	अनारक्षित	लाल बिहारी, पिता–उदयानन्द सिंह, ग्राम–रतनचक, पो0–एकौनी	लाल बिहारी, पिता–अद्यानन्द सिंह, ग्राम–रतनचक, पो0–एकौनी
6	गोह	देवहरा	2	पिछड़ा वर्ग	विपिन कुमार, पिता–कृष्णा प्रसाद सौण्डिक, ग्राम+पो0–देवहरा, थाना–गोह	विपुल कुमार, पिता–कृष्णा प्रसाद सौण्डिक, ग्राम+पो0–देवहरा, थाना–गोह
7		उपहारा	2	अनारक्षित	सीमा कौशर, पति–सेराज अंसारी, ग्राम+पो0+थाना–उपहारा	श्री सत्येन्द्र पासवान, पिता–कलपु पासवान, ग्राम–खैरा, पो0–गम्हारी, थाना–उपहारा
8		झिकटिया	3	अनारक्षित	राजेश कुमार मंडल, पिता–नसिक लाल यादव, ग्राम–खोरीखाप, पो0–सिहुली, थाना–बंदेया	राजेश कुमार मंडल, पिता–नसीब लाल यादव, ग्राम–खोरीखाप, पो0–सिहुली, थाना–बंदेया
9				अत्यंत पिछड़ा वर्ग	राजीव कुमार, पिता–राजकुमार साव, ग्राम–घाटो, पो0–कर्मा पाण्डेय, थाना–बंदेया	राजीव कुमार, पिता–राजकुमार साव, ग्राम–घोंटा, पो0–कर्मा पाण्डेय, थाना–बंदेया
10		डिहुरी	1	अना0 महिला	कुसुम कुमारी, पति–हीरा प्रसाद, ग्राम–हसनपुर, पो0–डिहुरी	कुसुम कुमारी, पति–सुरजीत कुमार, ग्राम–हसनपुर, पो0–डिहुरी
11	ओबरा	गैनी	1	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अमृता कुमारी, पति–अमीत कुमार, ग्राम–परिहारा, पो0–गैनी, थाना–खुदवां	चयनित अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत रहने के कारण पद रिक्त

12	रफीगंज	कजपा	1	पिछड़ा वर्ग	अभ्यर्थियों के आपत्ति के जाँचोपरांत चयन समिति की अगली बैठक में निर्णय लिया जायेगा	पुनम कुमारी, पति–मुकेश कुमार, ग्राम–कजपा , पो0–जाखिम
13		सिहुली	3	अनु0जाति महिला	शालु कुमारी, पति–धमेन्द्र कुमार, ग्राम–सिहुली खैरा, पो0–खैरा, थाना–रफीगंज	रिक्त
14				अना0महिला	नूर फातमा, पिता–अरमान खान, ग्राम+पो0-सिहुली, थाना-रफीगंज	शालु कुमारी, पति–धमेन्द्र कुमार, ग्राम–सिहुली खैरा, पो0–खैरा, थाना–रफीगंज
15	औरंगाबाद	नगर परिषद, वार्ड नं0–5	1	अना0महिला	अभ्यर्थियों के आपत्ति के जाँचोपरांत चयन समिति की अगली बैठक में निर्णय लिया जायेगा	बेबी देवी, पति–बलवन्त कुमार सिंह, ग्राम–मृगनैनी होटल के पीछे न्यू एरिया, औरंगाबाद
16		नगर परिषद वार्ड नं0–32	1	अनारक्षित	अभ्यर्थियों के आपत्ति के जाँचोपरांत चयन समिति की अगली बैठक में निर्णय लिया जायेगा	नवीन कुमार, पिता–स्व0 कर्मदेव सिंह, पता–अनुग्रह नगर, औरंगाबाद
17	देव	प0केताकी	2	पिछड़ा वर्ग	अजीत कुमार, पिता–नागदेव यादव, ग्राम–मंझौली, पो0–केताकी, थाना–देव	उर्मिला कुमारी, पिता–राजेश्वर यादव, ग्राम–मंझौली, पो0–केताकी
18		देव	2	अनु0जाति	उपेन्द्र कुमार, पिता–सीताराम पासवान, ग्राम–देव गोदाम पर, पो0+थाना–देव	परिवार में पूर्व से जन वितरण प्रणाली रहने के कारण रिक्त
19		पूर्वी केताकी	1	अनारक्षित	अभ्यर्थियों के आपत्ति के जाँचोपरांत चयन समिति की अगली बैठक में निर्णय लिया जायेगा	वसुधा कुमारी, पति–सुजीत कुमार सिंह, ग्राम–पड़रिया, पो0–केतकी, थाना–देव
20	बारूण	गोठौली	2	पिछड़ा वर्ग	संजय कुमार, पिता–दुधेश्वर सिंह, ग्राम–दिग्घी, पो0–जयगोविन्द नगर, मखरा थाना–बारूण	संध्या कुमार, पति–सुरेन्द्र सिंह, ग्राम–दिग्धी, पो0–जयगोविन्द नगर, थाना–बारूण
21		पौथू	1	अ0पि0व0 महिला	प्रियंका कुमारी, पति प्रमोद सिंह, ग्राम–रतनौर, पो0–पौथू, थाना–जम्होर	सोनी देवी, पति–मुकेश कुमार, ग्राम–सादा विगहा, पो0–पौथू, थाना–जम्होर
22	कुटुम्बा	कर्मा बसंतपुर	1	अनारक्षित	अभ्यर्थियों के आपत्ति के जाँचोपरांत चयन समिति की अगली बैठक में निर्णय लिया जायेगा	शंकर कुमार सिंह, पिता–मुंकेश्वर सिंह, ग्राम–सल्हना, पो0–कटैया, थाना–अम्बा

- अनुज्ञापन पदाधिकारी, औरंगाबाद/दाउदनगर को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व निम्नलिखित निदेश का पालन करेंगे–
- "बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016" के कंडिकाओं का अक्षरशः अनुपालन करेंगे।
- चयन समिति के समक्ष यह प्रश्न उठा कि जिस पंचायत/वार्ड की रिक्ति है, उसी पंचायत/वार्ड का अभ्यर्थी होना अनिवार्य है या अथवा नही? इस संबंध में स्पष्ट है कि "बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016" के कंडिका 8 के (5) में वर्णित संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी। विचारोपरांत सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया कि केवल सामान्य मेधा रहने पर संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

- जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभागीय निदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा गलत/फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का मामला पाया जाता है तो अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद/दाउदनगर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।
- अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद/दाउदनगर को निदेश दिया गया कि आवेदको को अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश, 2016" के प्रावधान के आलोक में आवेदको द्वारा समर्पित किये गये प्रमाण पत्रों की जॉच से स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही अनुज्ञप्ति निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त किया गया।

ह0/-
जिला सहकारिता पदाधिकारी
औरंगाबाद।

ह0/-
कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल,
औरंगाबाद।

ह0/-
अनुमण्डल पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

ह0/-
अनुमण्डल पदाधिकारी,
दाउदनगर।

ह0/-
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक–199/आ0, दिनांक–8.3.19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद/दाउदनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री प्रदीप कुमार, आई0टी0 मैनेजर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूची को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

8.3.19
जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।